जितेन्द्र बनाम सीताराम

अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए, 209 RTA

नम्बरी वाद 154/19 20

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
यह प्रा. पत्र वादीगण की ओर से श्री प्रदीप सिहाग एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 13.12.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	946
13.12.19 बार संघ द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.12.19 को पेश हों।	
18.12.19 उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20.1.20 को पेश हो।	
23.12.19 वादी [illegible] पत्र प्रस्तुत कर आज पत्रावली पेशी लेने का प्रा० प० पेश। वकील वादी उपस्थित। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन किया। वादी को सुना गया। वादी द्वारा वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नक्शा से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर रहे।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (मुकेश बारेठ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.31 11:08:59 IST
Reason: SelfAttested